भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 315

04 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र के उत्पाद

315. श्री नलिन सोरेन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैश्विक बाजार में इस्पात क्षेत्र के उत्पादों की लेबलिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मेक इन इंडिया परिकल्पना को बढ़ावा देने और भारत को विश्व के 'विनिर्माण केन्द्र' के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) इस्पात उत्पादों की ब्रांडिंग में एक क्यूआर कोड के साथ मेड इन इंडिया लेबल के माध्यम से स्वदेशी इस्पात उत्पादों की लेबलिंग का प्रावधान किया गया है जिसमें निर्यात के लिए स्वदेशी इस्पात उत्पादों तथा विनिर्मित इस्पात दोनों के लिए उत्पाद का विवरण शामिल है।

(ख) सरकार ने 'मेक इन इंडिया' विजन को बढ़ावा देने तथा भारत को विश्व के "विनिर्माण केंद्र" के रुप में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए है:-

(i) आत्मनिर्भर पैकेजों, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) तथा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अंतर्गत निवेश के अवसर, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (आईआईएलबी), इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग प्रणाली, (आईपीआरएस), राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) आदि का सॉफ्ट लॉन्च करना।

(ii) भारत की 'आत्मनिर्भर' बनने तथा भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की परिदृष्टि के मद्देनजर केंद्रीय बजट 2021-22 में विनिर्माण के 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं हेतु 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई थी।

(iii) भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में निवेशों को गति प्रदान करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली स्थापित की गई है।

****